न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर

रेफरेन्स प्रार्थना प्रकरण संख्या – 102/2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1– बाबू, भंवर, सुवा पि0 भोमा कोम मेहरात साकिन भीमपुरा तहसील नसीराबाद

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट — राजकीय अभिभाषक
श्री रोहित सोनी ऐडवोकेट — अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक –12.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/10555/2007/अजमेर दिनांक 02.06.2014 को निर्णित किया जाकर पत्रावली पुनः इस निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित की गई है कि उक्त प्रकरण में वर्णितानुसार वादग्रस्त आराजी के पुराने व नवीन खसरा नम्बर व रकबे अनुसार जांच कर पुनः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किए जाने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नसीराबाद के द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री रोहित सोनी अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली सुनवाई हेतु नियत की गई। वरवक्त सुनवाई अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर पैरोकार सरकार को अप्रार्थी के जवाब नोटिस की रूह में सुना गया ।

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि

ग्राम	खसरा नम्बर साबिक	रकबा	किस्म	खसरा नम्बर हाल	रकबा	किस्म
भीमपुरा	735	02–02–10	नाला	1246	02–09–00	ब0 2

संवत 1350 में शामलात देह में जैर आब किस्म नदी/नाला/तालाब आदि दर्ज थे, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में उक्त विवादित आराजी की संवत् 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधि संगत नहीं माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.07.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Experts committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original Shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की जनहित याचिका संख्या

536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नदी/नाला/तालाब आदि दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने हेतु सिवायचक घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेफरेन्स प्रकरण को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेन्स प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने मूल प्रकरण में जवाब नोटिस में अंकित किया है कि प्रश्नगत आराजी उसके खातेदारी की आराजी है तथा अप्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर नाले की भूमि नहीं होकर खेती की भूमि है। इसलिए अप्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त होने पर तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांकित 30.01.2015 में पुराने साबिक खसरा नम्बर 739 रकबा 02–03–00 के नवीन खसरा नम्बर 1246 रकबा 02–03–00 बना है साथ ही खसरा नम्बर 735 रकबा 02–02–10 के नवीन खसरा नम्बर 1242 रकबा 01–07–10, खसरा नम्बर 1282 रकबा 00–05–00, खसरा नम्बर 1246 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 1247 रकबा 00–04–00 यानि नवीन खसरा नम्बर 1246 का कुल रकबा 02–09–00 बना है तदनुसार सिवायचक नाला जिसका रकबा नवीन खसरा नम्बर 1246 में केवल मात्र 6 बिस्वा है जो अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम दर्ज है इस प्रकार उक्त तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2015 एवं 27.05.2024 के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 1246 के वर्तमान खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.40 हैक्टेयर है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर गैर मु. नाला होने से उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी रकबे में शामिल होना पाया जाता है जिसे वापिस सिवायचक गेर मु. नाला दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

हमने पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध वर्ष 1947–48 संवत 1350 फसली के प्रश्नगत साबिक खसरा संख्या शामलात देह के नदी व नाले के रूप में दर्ज की। साबिक व हाल रेकार्ड तुलनात्मक रूप से अप्रार्थी के प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान जमाबंदी में किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी.बी. जनहित याचिका में Experts committee द्वारा की गई सिफारिशों को प्रभावशाली बनाने हेतु दिये गये निर्देशो की पालना तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रश्नगत आराजियात को वर्ष 1947 के समकालीन राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भूमि को "Original Shape & Use" पुराने साबिक खसरा नम्बर 739 रकबा 02–03–00 के नवीन खसरा नम्बर 1246 रकबा 02–03–00 बना है साथ ही खसरा नम्बर 735 रकबा 02–02–10 के नवीन खसरा नम्बर 1242 रकबा 01–07–10, खसरा नम्बर 1282 रकबा 00–05–00, खसरा नम्बर 1246 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 1247 रकबा 00–04–00 यानि नवीन खसरा नम्बर 1246 का कुल रकबा 02–09–00 बना है तदनुसार सिवायचक नाला जिसका रकबा नवीन खसरा नम्बर 1246 में केवल मात्र 6 बिस्वा है जो अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम दर्ज है इस प्रकार उक्त तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2015 एवं 27.05.

2024 के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 1246 के वर्तमान खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.40 हैक्टेयर है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर गैर मु. नाला होने से उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी रकबे में शामिल होना पाया जाता है। अतः उक्त भूमि को "Original Shape & Use" प्रदान करने हेतु गैर मु0 नाला दर्ज कर सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर